

प्ररूप 21 ग

(नियम 64 देखें)

(साधारण निर्वाचन में उपयोग के लिए, जब सीट निर्विरोध ना हो (सीट पर चुनाव लड़ा गया है)

लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 66 के अधीन निर्वाचन परिणाम की घोषणा।

रतनगढ़ विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र से राजस्थान की विधानसभा के लिए निर्वाचन निर्वाचनो का संचालन नियम 1961 के नियम 64 के साथ पठित लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 में अन्तर्विष्ट उपबंधों के अनुसरण में मैं घोषणा करता/करती हूँ कि -

श्री अभिनेश महर्षि , 16, धन्वन्तरी नगर, वार्ड नं. 12, रतनगढ़, जिला चूरु 331022 भारतीय जनता पार्टी द्वारा खड़े किए गए।

उपर्युक्त निर्वाचन क्षेत्र से उस सदन में स्थान भरने के लिए सम्यक् रूप से निर्वाचित हो गए है।

स्थान :- राजकीय लोहिया महाविद्यालय चूरु

तारीख :- 11.12.2018

(संजू पारीक)

रिटर्निंग आफिसर

(एस.डी.एम) रतनगढ़

रिटर्निंग ऑफिसर

रतनगढ़ (023) विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र
(उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट रतनगढ़)

FORM 21C

(See rule 64)

(For use in General Election when seat is contested)

Declaration of the result of Election under section 66 of the Representation of the People Act, 1951.


Election to the Legislative Assembly of Rajasthan from **(23) Ratangarh** Assembly constituency.

In pursuance of the provisions contained in section 66 of the Representation of the People Act, 1951, read with rule 64 of the Conduct of Elections Rules, 1961, I declare that—

Shri **ABHINESH MAHARSHI** 16, DHANVANTRI NAGAR, WARD NO 12, RATANGARH, DISTRICT CHURU 331022 sponsored by **BHARATIYA JANATA PARTY** has been duly elected to fill the seat in that House from the above constituency.

Place :- Govt. Lohia college Churu

Date :- 11-12-2018


(Sanju Pareek)
Returning Officer
(SDM) Ratangarh